

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011


जयपुर, दिनांक 26 DEC 2012

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त, राजस्थान।
5. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त) राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम (समस्त) राजस्थान।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :- प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012 की अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 193/2012 के क्रम में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 17.10.2012 द्वारा "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" के दौरान शिविर की अवधि दिनांक 21 नवम्बर, 2012 से 25 दिसम्बर, 2012 तक रखी गई थी तथा अभियान का Follow-up कार्य प्रत्येक नगर निकाय के कार्यालय में दिनांक 25 दिसम्बर 2012 के पश्चात् भी दिनांक 31 मार्च, 2013 तक रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय के क्रम में उक्त शिविर अवधि दिनांक 25 दिसम्बर, 2012 को अब बढ़ाकर 15 फरवरी, 2013 किया गया है। 15 फरवरी, 2013 तक शिविर अवधि अवधि में आवेदन करने पर अभियान के लिये दी गयी शिथिलताओं का लाभ संबंधित को देय होगा। अतः अभियान का कार्यक्रम तदनुसार रखा जाकर कार्यवाही की जावे।


(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण (समस्त) (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग को छोड़ कर)
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग/राजस्व/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/सार्वजनिक निर्माण/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
9. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव.....
10. निजी सचिव, शासन सचिव.....
11. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
12. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
13. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका
15. शासन उप सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नविवि
16. रक्षित पत्रावली।

(आर०के०पारीक)
शासन उप सचिव-द्वितीय